

UP Housing and Development Board**104, M.G. Marg, Lucknow-226001****List of vacant Residential Properties Varanasi Zone E-Auction 14.12.2024**

Sl.No	Auction ID	Zone Name	CITY	YOJNA/ APRATMENT NAME	Property No.	Property Type	Area of Property (Sqm.)	FAR (Floor Area Ratio)	Reserve Price/ Reserve Rate	Cost of Property	Registration/ Token Amount	Reservation	Rera Reg. Number IF Applicable
1	36474	Varanasi	Varanasi	Pandeypur Yojna	3B-13/5	Residential Plot	63.25	N/A	93360	5905020	295300	General	-

मा0 न्यायालय में विचारित प्रकरण तथा अन्य अपरिहार्य कारणों से प्रस्तावित सम्पत्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती हैं।

आरक्षित श्रेणी की सम्पत्तियों हेतु आवेदकों द्वारा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी ई-नीलामी पोर्टल पर "Other Document" में अपलोड किया जाना होगा।

यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी की सम्पत्ति के विरुद्ध बोली में प्रतिभाग किया जाता है और बाद में यह पाया जाता है कि सम्बन्धित बोलीदाता उस आरक्षण श्रेणी का नहीं है तो अपूर्ण/अवैध आवेदन मानते हुए समस्त टोकन धनराशि जब्त कर ली जाएगी, बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा।

ई-नीलामी में प्रस्तावित सम्पत्तियों का विवरण परिषद की वेबसाइट एवं ई-नीलामी पोर्टल उपलब्ध हैं। रेरा में पंजीकृत प्रोजेक्टस से सम्बन्धित सम्पत्तियों के सम्मुख रेरा पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया गया है।

परिषद की समस्त प्रकार की सम्पत्तियां "जहां है जैसे है" के आधार पर निस्तारित की जाएंगी।

समस्त प्रकार की आवासीय/अनावासीय भूखण्डों पर भौतिक कब्जा प्राप्त के 05 वर्ष के अन्दर मानचित्र स्वीकृत कराते हुए निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा। ससमय निर्माण पूर्ण न किए जाने की दशा में नियमानुसार अनिर्माण शुल्क/समयवृद्धि शुल्क देय होगा।

परिषद की समस्त प्रकार की आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियां परिषद की सम्पत्ति निस्तारण की विनियमावली में प्राविधानित व्यवस्था के अधीन की जाएंगी।

यदि किसी सम्पत्ति के विरुद्ध एकल बोली प्राप्त होती है तो उक्त पर मा0 परिषद की 268वीं बैठक के मद संख्या-268/20 पर अनुमोदित प्रस्ताव के अधीन निर्णय लिया जाएगा।

सामान्यतः एकल बोली/बिड स्वीकार नहीं की जाएगी।

ई-नीलामी में जिन सम्पत्तियों के सापेक्ष एकल बोली प्राप्त होती है तो प्राप्त बोली को रिटैन रखते हुए, प्रश्नगत सम्पत्ति के सापेक्ष आवेदन प्राप्त करने/पंजीकरण धनराशि जमा करने की अवधि 20 दिन तक आगे बढ़ा दी जाएगी(सार्वजनिक अवकाश होने पर आगामी कार्यदिवस में)। उसके उपरान्त जो भी आवेदन प्राप्त होंगे उनके सापेक्ष नीलामी सम्पन्न कराई जाएगी।

यदि सम्पत्ति ऑफर करने के बाद 05 वर्ष से अधिक एवं 10 बार नीलामी में लगाए जाने के बाद तक अनिस्तारित है तो सम्पत्ति की लोकप्रियता एवं विक्रयशीलता के आधार पर एकल बिड को स्वीकार करने की कार्यवाही की जाएगी। स्वीकृतिकर्ता सक्षम अधिकारी द्वारा एकल बिड स्वीकार करने से पूर्व इस बात का विशेष ध्यान दिया जाएगा कि नीलामी का पर्याप्त प्रचार-प्रसार हुआ हो एवं नीलामी की प्रक्रिया पारदर्शी रूप से सम्पन्न हुई हो। जो सम्पत्ति ऑफर तिथि से 02 वर्ष से कम समय से नीलामी में लगाई जा रही हो उन्हें एकल बिड प्राप्त होने की स्थिति में निरस्त करते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ पुनः नीलामी में लगाया जाएगा।

इस अवधि में बोली, बोलने से पूर्व यदि कोई आवेदक अपनी जमा टोकन धनराशि वापसी की मांग करता है, ऐसी दशा में आवेदक को निर्धारित नीलामी तिथि से 24 घण्टे पूर्व आवेदन देना होगा। आवेदन की अवधि पूर्ण होने पर जमा पंजीकरण धनराशि वापस नहीं की जाएगी, फिर जमा पंजीकरण धनराशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। कोई आवेदक एक से अधिक अनावासीय भूखण्ड हेतु आवेदन कर सकता है।